(1)

छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 3–15/2016/सक/26, नया रायपुर, दिनांक 08/11/2016

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर
   छत्तीसगढ़
2. समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत, छत्तीसगढ़
3. समस्त संयुक्त/उप संचालक
   समाज कल्याण, छत्तीसगढ़
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   जिला कार्यालय, छत्तीसगढ़
5. सहायक आयुक्त
   जिला कार्यालय
   आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग
6. समस्त आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी
   नगर पालिका/नगर पंचायत, छत्तीसगढ़

विषय :– "क्षितिज–अपार संभावनाएं" अंतर्गत निःशक्त विद्यार्थियों के लिए [redacted] [redacted]

––––000––––

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के तहत निःशक्त व्यक्तियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित, उन्हें संबल प्रदान करने एवं उनके अधिकारों का संरक्षण हेतु 5 निःशक्त विद्यार्थियों के समूह को किराये के भवन में निःशुल्क आवास सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया जाना है। योजना से राज्य के निःशक्त विद्यार्थियों का समूह देश के अन्य राज्यों में भी अध्ययन करने हेतु छात्रगृह का लाभ ले सकेंगे। योजना की पात्रता एवं शर्तें निम्नानुसार होगी –

1. **योजना हेतु पात्रता :–**
   - 1.1 40% या उससे अधिक के निःशक्तजन।
   - 1.2 आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी हो।
   - 1.3 उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण। अथवा

1.4 महाविद्यालय / पोलिटेक्निक / आई.टी.आई. में नियमित छात्र के रूप में प्रवेशित। (शैक्षणिक सत्र में अनुत्तीर्ण छात्र को पात्रता नहीं होगी।)

1.5 शिक्षण संस्थान से आवेदक के मूल निवास की दूरी 20 किलोमीटर से अधिक हो।

2. दिये जाने वाले लाभ :–

05 बच्चों के समूह को रेन्ट कन्ट्रोल अथॉरिटी द्वारा निर्धारित दर पर निर्धारित किराए की सीमा में रहने की निःशुल्क सुविधा। भवन की अधिकतम मासिक किराया राशि विद्युत एवं अन्य व्यय सहित निम्नानुसार श्रेणी के शहरों के लिए निर्धारित किया जाता है –

1. A श्रेणी के शहर हेतु 10,000/– (दस हजार) तक देय होगी।
2. B श्रेणी के शहर हेतु 7,000/– (सात हजार) तक देय होगी।
3. C श्रेणी के शहर हेतु 5,000/– (पांच हजार) तक देय होगी।

3. आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :–

3.1 महाविद्यालयीन / पोलिटेक्निक / आई.टी.आई. के नियमित छात्र 5 का समूह बनाकर पूर्ण बायोडाटा के साथ सादे कागज पर संयुक्त / उप संचालक समाज कल्याण जिला कार्यालय को आवेदन करेंगे।

3.2 आवेदन के साथ महाविद्यालय में नियमित छात्र के रूप में अध्ययन किए जाने संबंधी प्रमाण पत्र सभी पांचों छात्रों का पृथक–पृथक। (संबंधित महाविद्यालय / पोलिटेक्निक / आई.टी.आई. के प्राचार्य / संस्था प्रमुख द्वारा जारी)

3.3 छात्रों को निवास प्रमाण पत्र एवं जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3.4 महाविद्यालय से मूल निवास की दूरी 20 किलोमीटर या उससे अधिक है संबंधी प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत / नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत के संबंधित सरपंच अथवा पंच / पार्षद द्वारा प्रमाणित प्रस्तुत करना होगा।

4. स्वीकृति की प्रक्रिया :–

4.1 प्राप्त आवेदनों पर संयुक्त / उप संचालक समाज कल्याण, जिला कार्यालय द्वारा कलेक्टर की सक्षम स्वीकृति ली जावेगी।

4.2 आवेदनों की अपूर्ण होने की स्थिति में संयुक्त / उप संचालक, समाज कल्याण जिला कार्यालय शीघ्र पूर्ण कराएगें।

4.3 संयुक्त / उप संचालक, समाज कल्याण जिला कार्यालय को प्राप्त आवेदन पत्रों पर स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार होगा, किन्तु संयुक्त / उप संचालक, समाज कल्याण जिला कार्यालय के लिए आवश्यक होगा कि कोई आवेदन अस्वीकृत करने की दशा में उसके कारणों का भी उल्लेख करें।

4.4 स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को पंजीकृत आवेदन–पत्र पर आवेदन कार्यालय में प्राप्ति दिनांक से अधिकतम 30 दिन के भीतर निर्णय लेकर आवेदक को सूचित करना आवश्यक होगा। स्वीकृत या अस्वीकृत करने संबंधी निर्णय की सूचना आवेदक को दी जावेगी।

4.5 किराये की स्वीकृति उपरांत मकान मालिक से निर्धारित प्रारूप में एग्रीमेन्ट तैयार कराकर एक प्रति पुलिस थाना को, एक प्रति संयुक्त/उप संचालक समाज कल्याण, जिला कार्यालय में तथा एक प्रति सर्वसंबंधितों को उपलब्ध कराया जाएगें।

4.6 संयुक्त/उप संचालक, समाज कल्याण जिला कार्यालय रेन्ट कन्ट्रोल अथॉरिटी से संबंधित भवन के लिए किराए की दर निर्धारित कराएंगे तथा उक्ताशय का पत्र प्राप्त करेंगे। विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम राशि की सीमा अनुसार ही भवन का चयन करेंगे।

5. **आबंटन प्रक्रिया :–**

5.1 राज्य द्वारा संयुक्त/उप–संचालक, जिला कार्यालय समाज कल्याण को आबंटन जारी किया जायेगा।

5.2 संयुक्त/उप संचालक, समाज कल्याण जिला कार्यालय आबंटन प्राप्त होते ही राशि आहरित कर मकान मालिक के खाते में जमा कराएंगे।

6. **राशि का भुगतान प्रकिया :–**

6.1 राशि का भुगतान यथा संभव सीधे नेफ्ट/आरटीजीएस/डी.बी.टी के माध्यम से मकान मालिक के खाते में जमा किया जावेगा। नितांत आवश्यकता पड़ने पर ही चेक दिया जावेगा।

6.2 किराये की राशि का भुगतान पूर्व प्रतिमाह भौतिक सत्यापन किया जावे तथा मकान मालिक से इस आशय का प्रमाण पत्र भी लिया जावे कि किराए में निवासरत् सभी छात्र कोई भी असंवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं है। यह भी पुष्टि कर लिया जावे कि वास्तव में वही व्यक्ति ही निवासरत् हैं।

6.3 यदि उक्त छात्र लगातार 2 माह तक किराए के भवन में नहीं रहते तो उसकी स्वीकृति रद्द कर दी जावे एवं समुचित कारण सहित पुनः आवेदन करने पर स्वीकृति दी जावे।

6.4 प्रत्येक संयुक्त/उप संचालक जिला कार्यालय समाज कल्याण संलग्न **प्रारूप–एक** के अनुसार किराया राशि वितरण का विवरण रजिस्टर में संधारित करेंगे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जिनको सहायता राशि स्वीकृत की गई है, का पूर्ण ब्यौरा होगा, मकान मालिक का ब्यौरा तथा कितना व किस माध्यम से भुगतान किया जा रहा है, उसका उल्लेख भी होगा।

7. **अभिलेखों का संधारण :–**

7.1 संयुक्त/उप संचालक, समाज कल्याण, जिला कार्यालय आवेदकों से प्राप्त आवेदन पत्रों का पंजीयन तथा स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में विवरण का पृथक रजिस्टर **प्रारूप दो** अनुसार संधारित करें।

7.2 संयुक्त/उप–संचालक, समाज कल्याण प्रतिमाह मासिक प्रतिवेदन संचालक, समाज कल्याण, छत्तीसगढ़ को प्रत्येक माह की (मासान्त तक की जानकारी) 10 तारीख के पूर्व **प्रारूप–तीन** अनुसार उपलब्ध कराएंगे।

8. **विविध :–**

8.1 वह व्यक्ति जिसे किराया स्वीकृत किया गया हो उसे अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकेगा।

8.2 छात्रों को प्रतिवर्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यूओ.क्रमांक एफ–2016–26–00172/ब–1/चार, दिनांक 22.09.2016 द्वारा प्रदान की गई है।

(सोनमणि बोरा)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग

कमांक एफ 3–15/2016/सक/26, रायपुर, दिनांक 03/11/2016

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ।
2. निज सहायक, माननीय संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ।
3. मुख्य सचिव महोदय छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर को सूचनार्थ।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर को सूचनार्थ।
7. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जनसम्पर्क विभाग को सूचनार्थ।
8. संचालक, समाज कल्याण, संचालनालय, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. समस्त संभाग आयुक्त, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग

(6)

प्रारूप–एक

छात्रगृह योजना अन्तर्गत राशि का वितरण रजिस्टर

क्र.	विद्यार्थियों का नाम एवं पिता का नाम	मकान मालिक का नाम	पता	वर्ग (अ.जा. /अ.ज.जा. /पिछड़ा वर्ग/सामान्य	लिंग	उम्र
1	2	3	4	5	6	7

क्या दर रेन्ट कन्ट्रोल अथॉरिटी से निर्धारित है	किराया राशि	स्वीकृति का विवरण स्वीकृति की तिथि
8	9	10

भुगतान का विवरण			रिमार्क
बैक/पोस्ट आफिस का नाम व स्थान	खाता क्रमांक	भुगतान की गई राशि	
11	12	13	14

(6)

प्रारूप– दो

छात्रगृह योजना हेतु आवेदन–पत्रों का पंजीयन रजिस्टर

क्र.	आवेदन पत्र प्राप्ति का दिनांक	आवेदकों का पूरा नाम व पता	वर्ग अ.जा./अ.ज. जा./पिछड़ा वर्ग/सामान्य	लिंग
1	2	3	4	5

उम्र	कक्षा	संस्था/विद्यालय/महाविद्यालय का नाम	स्वीकृत/ अस्वीकृत	आदेश क्र. व दिनांक
6	7	8	9	10

स्वीकृति की स्थिति का विवरण		यदि अस्वीकृत हो तो अस्वीकृति का कारण	प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर व सील
तिथि/माह जब से स्वीकृत की गई	प्रोत्साहन राशि		
11	12	13	14

(7)

प्रारूप – तीन

छात्रगृह योजना

माह .... (आंकड़े लाख में)

क्र.	मांग संख्या	लाभान्वित अभ्यर्थी		गत वर्ष का शेष राशि	वर्ष में प्राप्त आबंटन	कुल आबंटन	माह अंत तक व्यय	शेष राशि
		किराए के मकान की संख्या	लाभान्वित हितग्राही					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	–34–							
2	–41–							
3	–64–							
योग								

महिला					पुरूष					कुल					रिमार्क
अजा	अजजा	सामान्य	अपिव	योग	अजा	अजजा	सामान्य	अपिव	योग	अजा	अजजा	सामान्य	अपिव	योग	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

संयुक्त/उप संचालक
समाज कल्याण
जिला कार्यालय